



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 07.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को सूचना के 12 घण्टे के अंदर अवैध तमंचा के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06/07.08.2026 की देर रात्रि को थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को सूचना के 12 घण्टे के अंदर अवैध तमंचा-कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 06.08.2026 की शाम को थाना गिरवां क्षेत्र के रहने वाले रामपाल द्वारा थाना तिन्दवारी पर सूचना दी गई कि बबेरु तिराहा तिन्दवारी से अज्ञात चोरों द्वारा उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से बबेरु से तिन्दवारी आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों को रोककर पूछताछ करने की कोशिश की तो दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे जिसे पुलिस द्वारा घेराबन्दी कर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया तथा तलाशी लेते हुए भागने का कारण पूछा गया तो दोनों ने बताया कि उन्होंने ये मोटरसाइकिल उन्होंने बबेरु तिराहा के पास बांदा फतेहपुर रोड़ से चोरी की है। मोटरसाइकिल में एक मोबाइल भी मिला था जिसको पकड़े जाने के डर से फेंक दिया था। तलाशी में अभियुक्त संदीप के कब्जे से एक अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में बढ़ोत्तरी करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

1. 01 मोटरसाइकिल विककी एक्सएल (चोरी की)
2. 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बलवीर उर्फ बल्ली पुत्र कलुआ निवासी ग्राम पिपरगवां थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
2. संदीप उर्फ धुनगी पुत्र गुलाब निवासी ग्राम पिपरगवां थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 165/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0 165/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना तिन्दवारी
2. कां0 अजय यादव
3. कां0 वारेन्द्र कुमार
4. कां0 सुदेश कुमार